दां.प्रकी.(तृतीय जमा.) 4113/2004

**06.12.2004**

**माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार**

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप मेहता,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.3.2004 को नोट प्रेस में खारिज किया गया था और द्वितीय जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.5.2004 को खारिज किया गया था उस समय यह तथ्य आए थे कि अभियुक्तगण के द्वारा जन सेवको पर आक्रमण किया है, इस आधार पर जमानत खारिज की गई थी। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त नरेश की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है और गवाहो के बयान भी न्यायालय में हुए हैं जिसमें मोटर साईकिल यह अभियुक्त चला रहा था और यह दुर्घटना का केस है, आक्रमण का केस नहीं है। अभियुक्त से जो भी माल की बामदगी हुई है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है ओर चूंकि गवाहो के बयान हो चुके हैं, बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। इस न्यायालय द्वारा इस अभियुक्त के जमानत के प्रार्थना-पत्र पूर्व में इस आधार पर खारिज किए गए थे कि जन सेवको पर

आक्रमण किया गया। उसके बाद सहअभियुक्त नरेश की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली गई है। उसके बाद गवाहो के बयान न्यायालय में हो चुके हैं। यह अभियुक्त मोटर साईकिल चला रहा था। मोटर साइकिल की चोट लगने से पुलिस कर्मचारियो को चोटे आई है। अभियुक्त से जो भी 1.400 कि.ग्रा अफीम की बरामदगी होना पाई जाती है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि सअभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी पुष्कर उर्फ प्रभुलाल पुत्र रामलाल योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)**

जी.एन.शर्मा